न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–वीरेन्द्र सिंह चौधरी, आर.ए.एस

अपील संख्याः 01/23 निर्णय दिनांकः– 23-01-2024
(जीसीएमएस संख्या 2023/1)

1. आशाराम पुत्र भूराराम जाति जाट निवासी बिरमसर तहसील नोखा हाल चक 8 केजेडी 'ए' तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–अपीलांट्

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खाजुवाला।

–रेस्पोडेन्ट्

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13–12–2022
उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मिलाप चन्द धतरवाल, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के आदेश दिनांक 13–12–2022 जिसके द्वारा अपीलांट् की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, के विरुद्ध इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट् की खातेदारी भूमि तहसील खाजुवाला के चक 8 केजीडी'ए' के मुरब्बा नम्बर 102/21 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 25 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि निहित है, जिस पर अपीलांट का बदस्तुर कब्जा काश्त चला आ रहा है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि का रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में किसी भी रिकार्डेड खातेदार को अस्थाई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। अदालत मातहत द्वारा कानून के इस महत्वपूर्ण बिन्दु को दरकिनार करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया है जो कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज योग्य आदेश है। अपीलांट द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर कभी भी गैरकृषि कार्य नहीं किया गया है। अदालत मातहत द्वारा केवल मात्र पटवारी की रिपोर्ट जोकि कि किसी भी पक्षकार की उपस्थिति में व बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तैयार की गई है, को आधार बनाते हुए अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी आदेशों तक जारी की गई है।

प्रकरण में उल्लेखनीय है कि अपीलांट् द्वारा पूर्व में अपनी खातेदारी भूमि चक 8 केजेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 102/21 के किला नम्बर 3 ता 8, 15 व किला नम्बर 14 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 13 मं 08 बिस्वा इस प्रकार कुल 8 बीघा 07 बिस्वा भूमि के बाबत् ईंट भट्टे की स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा दिनांक 03–11–1989 को ईंट भट्टे हेतु सक्षम स्वीकृति जारी की गई थी एवं कालान्तर में अपीलांट् द्वाराउक्त लीजडीड के नवीनीकरण हेतु पुनः जिला कलेक्टर, बीकानेर के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित होते हुए तमाम तथ्यों को नजर अंदाज करते हुए अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना एकतरफा तौर पर अपीलांट की खातेदारी भूमि पर एकतरफा तौर पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है। चूंकि अपीलांट वादगत् भूमि को रिकार्डेड खातेदार है व रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। लिहाजा अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि जोकि कृषि प्रयोजनार्थ भूमि है, पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गैर कृषि कार्य किये जाने पर संबंधित तहसीलदार जोकि भूमि धारक होता है के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष वादपत्र मय अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अदालत मातहत द्वारा यह पाये जाने पर की अपीलांट द्वारा अपनी

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कृषि प्रयोजनार्थ भूमि पर बिना सक्षम अनुमति के गैर कृषि कार्य किया गया है, अपीलांट को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अदालत मातहत का उक्त आदेश प्रकरण की वस्तुस्थिति को ध्यान में रखते हुए पारित किया गया है। लिहाजा अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. हस्तगत् प्रकरण में अपीलांट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि तहसील खाजुवाला के चक 8 केजीडी'ए' के मुरब्बा नम्बर 102/21 के किला नम्बर 1 ता 9, 13 ता 25 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा भूमि के बाबत् एकतरफा तौर पर अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है, जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली व अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अदालत मातहत के समक्ष तहसीलदार, बीकानेर द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा वादग्रस्त भूमि जोकि कृषि प्रयोजनाथ आरक्षित है, पर बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के गैर कृषि अर्थात ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है। अदालत मातहत द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 13–12–2022 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई है। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक अपीलांट् द्वारा पत्रावली के साथ प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन मात्र से यह तथ्य स्पष्ट रूप से जाहिर होता है कि अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि में से चक 8 केजेडी 'ए' के मुरब्बा नम्बर 102/21 के किला नम्बर 3 ता 8, 15 व किला नम्बर 14 में 19 बिस्वा, किला नम्बर 13 में 08 बिस्वा इस प्रकार कुल 8 बीघा 07 बिस्वा भूमि पर ईंट भटटे के विधिवत संचालन के बाबत् सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु आवेदन करने पर राजस्थान सरकार के उपनिवेशन विभाग द्वारा दिनांक 03–11–1989 को वादग्रस्त भूमि पर विधिवत ईंट भट्टे संचालन हेतु सक्षम स्वीकृति जारी की गई

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

थी। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय यह व्याख्या कि अपीलांट् द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर बिना किसी सक्षम स्वीकृति के ईंट भट्टे का संचालन किया जा रहा है, विधि सम्मत व्याख्या नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट जोकि वादग्रस्त भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, को बिना किसी युक्तियुक्त एवं तर्कसंगत कारण के व अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना ही अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। विधि का यह सर्वमान्य सिद्वान्त है कि रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध एकतरफा तौर पर सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किये बिना अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों की पूर्ण रूप से व्याख्या किये बिना व एकतरफा तौर पर आदेश जैर अपील पारित करते हुए रिकार्डेड खातेदार को उसके विधिक अधिकारों से वंचित करने का प्रयास किया गया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूर्ण इन्ग्रिडेन्ट्स प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति पर अपना किसी प्रकार का कोई विवेचन अंकित नहीं किया गया है। प्रकरण में चूंकि परीक्षण न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व धारा 212 आरटीए के प्रार्थना पत्र पर आदेश पारित करने से पूर्व विधिक प्रावधानों को ध्यान में नहीं रखा गया है ना ही अपीलांट् को सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। जिसकी पुष्टि किया जाना युक्तियुक्त व तर्कसंगत नहीं माना जा सकता।

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी बीकानेर सत्यमेव जयते

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला के अपीलाधीन आदेश दिनांक 13–12–2022 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट को सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय आज दिनांक 23/1/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र सिंह चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर